

सिविल भूमि का कब्जा प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत मूलाकोट काण्डे भुइयां मोटर मार्ग का निर्माण।

उपरोक्त परियोजना के निर्माण में 3.150 हे० वनभूमि प्रभावित हो रही है। जिसके दुगने क्षेत्रफल 6.300 हे० में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु निम्न ग्राम चयन की गयी है। 1- ग्राम विविल पट्टी क्षेत्र जौख तहसील लोहाघाट के गैर ज०वि० खाता सं० 347 श्रेणी 9 (3)ड. बं०का०आ० के खेत नं० 6179 रकवा 3.880 हे०, खेत नं० 6138 रकवा 1.250 हे०, खेत नं० 6160 रकवा 0.437 हे०, मध्ये 0.170 हे० कुल क्षेत्रफल 5.300 हे० एवं ग्राम निडिल पट्टी क्षेत्र जाख तहसील लोहाघाट जिला चम्पावत के गैर ज०वि० खाता सं० 129 श्रेणी 10 (4) बं०का०आ० के खेत नं० 7177 रकवा 3.179 हे० मध्ये 1.000 हे०। कुल भूमि 6.300 हे० प्रस्तावित की गयी है। जिलाधिकारी महोदय चम्पावत के आदेश सं० 1791/सात-भूमि हस्ता० (स०भू०अ०)/2016-17 दि० 17-2-2017 के द्वारा वनविभाग के नाम नामान्तरण/हस्तान्तरण हेतु आदेशित किया गया है। तहसीलदार लोहाघाट द्वारा उक्त भूमि का अमल-दरामद वनविभाग के नाम कर दिया गया है। उक्त सिविल भूमि को वनविभाग द्वारा अपने कब्जे में ले ली गयी है। यह भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

17/2/2017-5

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्र-लोहाघाट
वन प्रभाग चम्पावत

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्र-लोहाघाट
वन प्रभाग चम्पावत